

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 34 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::

( आज दिनांक 26/05/2015 को पारित किया गया )

प्रकरण तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। पिड़ित कृषक भारता पिता कानजी जाति पटेलिया निवासी ग्राम सेजावाडा पटवारी हल्का नम्बर 08 तह. चन्द्रशेखर आजाद नगर के रहवासी कच्चा मकान में दिनांक 11.5.2015 को रात्रि में अचानक आग लग जाने से पिड़ित कृषक का कच्चा मकान पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया है मकान के अन्दर गवेशी, कपड़े, बर्तन, तथा घरेलू सामग्री जलकर नष्ट हो गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 संशोधित प्रावधान अनुसार मकान में अचानक आग लगने पर पिड़ित व्यक्ति भारता पिता कानजी जाति पटेलिया जाति भीलाला निवासी ग्राम सेजावाडा निम्नानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाते हैं:-

1-कच्चा मकान पूर्ण जलने पर -	20,000/-
2-दो गाय जलने पर (प्रति गाय 16500)-	33,000/-
3-एक बैल जलने पर -	16,500/-
4-5 बकरी जलने पर(प्रत्येक बकरी 1650)	08,250/-
4-कृषि उपकर(एक बैलगाडी)-	04,000/-
4-कपड़े,बर्तन,एवं घरेलु सामान-	05,000/-
योग (छियासी हजार सात सौ रुपये मात्र)	86,750/-

उक्त व्यय मांग संख्या 58-लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत 003-अग्नि पिड़ितों को राहत-आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा )  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 467 / रीडर / 2015

अलीराजपुर दिनांक 26/5/2015

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर ।
- 5 तहसीलदार तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर ।
- 6 संबंधित भारता पिता कानजी जाति पटेलिया जाति भीलाला निवासी ग्राम सेजावाडा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर ।

(शेखर वर्मा )  
कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)